सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 फाल्गुन, 1947 (श०)

संख्या - 94 राँची, सोमवार, 9 मार्च, 2026 (ई०)

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

अधिसूचना

6 मार्च, 2026

अधिसूचना सं० - निदे./5 विविध-1 कला-74/2015 31--'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, एतद् द्वारा राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति एवं सेवा की शर्तो हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

(1) यह नियमावली "झारखण्ड उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी नियुक्ति (भर्ती एवं सेवाशर्ते) नियमावली, 2026" कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(4) यह राज्य सरकार के सभी विभागों, सरकार द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित सरकार के नियंत्रणाधीन बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, आयोग, अभिकरण एवं सभी संस्थानों पर लागू होगा।

2. परिभाषाएँ:-

इस नियमावली में जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(i) "नियमावली" से अभिप्रेत है "झारखण्ड उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी नियुक्ति (भर्ती एवं सेवाशर्ते) नियमावली, 2026"

(ii) "सरकार" से अभिप्रेत झारखण्ड सरकार ;

(iii) "वर्ष" से अभिप्रेत है कैलेंडर वर्ष अर्थात् 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक

(iv) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में परिभाषित नियुक्ति प्राधिकार;

(v) "राज्य" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य ;

(vi) "विभाग" से अभिप्रेत है पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार ;

(vii) "राज्य के प्रतिनिधित्व" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी ;

(viii) "विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी।

(ix) "राष्ट्रीय खेल संघ" से अभिप्रेत है युवा कार्य तथा खेल मंत्रालय, भारत सरकार/भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ/संघ।

(x) "उत्कृष्ट खिलाड़ी" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य के वैसे खिलाड़ी जो झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी हों, जिन्होंने भारत वर्ष की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक प्राप्त किया हो/भागीदारी की हो/राज्य की ओर से राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक प्राप्त किया हो।

(xi) "व्यक्तिगत स्पर्धा" से अभिप्रेत है वैसी स्पर्धा जिसमें व्यक्तिगत प्रदर्शन से उपलब्धि प्राप्त की गई हो तथा वह स्पर्धा संबंधित खेल प्रतियोगिता में व्यक्तिगत स्पर्धा के रूप में शामिल हो।

(xii) "दलीय स्पर्धा" से अभिप्रेत है वैसी अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्पर्धा जिसमें दल के रूप में प्रदर्शन से उपलब्धि प्राप्त की गई हो तथा वह स्पर्धा संबंधित खेल प्रतियोगिता में दलीय स्पर्धा के रूप में शामिल हो।

(xiii) "खेल" से अभिप्रेत है, ओलम्पिक गेम्स अथवा एशियन गेम्स अथवा कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल खेल।

(xiv) "स्थानीय निवासी" से अभिप्रेत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-3198, दिनांक-18.04.2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) में परिभाषित स्थानीय निवासी।

(xv) "तकनीकी/विशिष्ट योग्यता की प्रकृति वाले पद" से अभिप्रेत है झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा डिप्लोमा/तकनीकी एवं अन्य विशिष्टि योग्यता वाले आयोजित किए जाने वाले प्रतियोगिता परीक्षा हेतु चिन्हित पद।

3. अर्हताएँ/पात्रता:-

इस नियमावली के अंतर्गत निम्नांकित अर्हता प्राप्त खिलाड़ी राज्य सरकार की सेवा में उत्कृष्ट खिलाड़ी की श्रेणी में नियुक्ति के पात्र होंगे:-

(1) जो भारत का नागरिक हो,

(2) जो झारखण्ड राज्य का स्थानीय निवासी हो, तथा जिन्होंने भारत वर्ष की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक प्राप्त किया हो/भागीदारी की हो/राज्य की ओर से राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक प्राप्त किया हो।

(3) राज्य में सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु उत्कृष्ट खिलाड़ियों (दिव्यांग खिलाड़ियों सहित) के लिए न्यूनतम उम्र सीमा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों हेतु निर्धारित उम्र सीमा होगी तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में कोटिवार 10 (दस) वर्षों के छूट के उपरान्त अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत् होगी:-

क्र.सं.	कोटि	उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र सीमा (दिव्यांग खिलाड़ी सहित)
1.	अनारक्षित/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	45 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग	47 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)	48 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	50 वर्ष

उम्र निर्धारण हेतु कट-ऑफ-डेट अधियाचना वर्ष की 1ली अगस्त होगी।

4. खिलाड़ी द्वारा राज्य गठन की तिथि अर्थात् दिनांक 15.11.2000 के उपरांत खेल उपलब्धि हासिल की गई हो, बशर्ते कि नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के समय वह अधिकतम उम्र सीमा की अहर्ता को पूर्ण करता/करती हो।

4. अपात्रता:-

(1) खिलाड़ी इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए अपात्र होगा, यदि वह खेल संबंधी गंभीर कदाचार जैसे कि डोपिंग, लैंगिक उत्पीड़न, प्रतिस्पर्धा हेर-फेर जैसे की खेल की शर्त लगाना, आन्तरिक जानकारी, मैच फिक्सिंग, खेल की अखंडता, सार को खतरा आदि पैदा करने वाली धमकी देने का संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा दोषी सिद्ध हो।

(2) वैसे खिलाड़ी जिनपर अपराधिक मामले हों और दोष सिद्ध हो चुका हो तो वैसे खिलाड़ी "झारखण्ड उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी नियुक्ति (भर्ती एंव सेवाशर्ते) नियमावली - 2026" के तहत आवेदन करने हेतु अपात्र माने जायेंगे।

5. शैक्षणिक योग्यता:-

(1) इस नियम के अधीन उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हत्ता निम्नवत् होगीः-

(i) समूह - ख (Level-6 से Level-9) के पदों पर नियुक्ति हेतु स्नातक अथवा समकक्ष,

(ii) समूह - ग (Level-3 से Level-5) के पदों पर नियुक्ति हेतु इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष

(iii) समूह - घ (Level-2) के पदों पर नियुक्ति हेतु मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष होगी।

यदि कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करता है परन्तु नियुक्ति के अन्य सभी शर्तों को पूर्ण करता है, तो उसकी शैक्षणिक योग्यता नियुक्ति के समय शिथिल करते हुए नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

(2) इस प्रकार नियुक्त उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा में सम्पुष्टि हेतु पूर्व से नियुक्त कर्मियों के अनुरूप सभी विहित परीक्षाएँ पास करनी अनिवार्य होगी।

(3) इस नियमावली के अधीन नियुक्त किये जाने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को इस नियमावली के तहत निर्धारित अनिवार्य/अधिमान्य अर्हताओं में छूट देने अथवा शिथिलीकरण करने के बिन्दु पर नियम - 8;अपपद्ध में वर्णित अनुशंसा समिति द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशंसा के क्रम में ही विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

6. आरक्षण:-

(i) कार्मिक विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5776, दिनांक-10.10.2002 तथा संकल्प ज्ञापांक-5795, दिनांक-10.10.2002 के द्वारा राज्य के खिलाड़ियों के लिए उपबंधित 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत कर्णांकित पदों (तकनीकी/विशिष्ट योग्यता की प्रकृति के पदों को छोड़कर सामान्य योग्यता वाले सभी पद) पर ही उपलब्धि प्राप्त खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की जाएगी।

(ii) तकनीकी/विशिष्ट योग्यता की प्रकृति वाले पदों पर इस नियमावली के तहत् उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नहीं की जाएगी, बल्कि इन पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में खेल कोटा हेतु 2% क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(iii) तकनीकी/विशिष्ट योग्यता की प्रकृति के पदों यथा - चिकित्सा, कृषि, विज्ञान, अभियांत्रिकी, विधि, खाद्य प्रसंस्करण आदि से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में खेल कोटा के अन्तर्गत 2% क्षैतिज आरक्षण दिये जाने हेतु वांछित खेल अर्हत्ता, शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र सीमा इस नियमावली के नियम - 7(ii) द्वारा निर्धारित की गई है।

7. राज्य अन्तर्गत पदों का वर्गीकरण:-

(i) खेल उपलब्धि के विभिन्न स्तरों के अनुसार पदों का वर्गीकरण एवं मार्किंग पद्धति निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

पदों का वर्गीकरण	उपलब्धि की कोटि	प्रतियोगिता का नाम	आयोजनकर्त्ता	मार्किंग पद्धति			
				स्वर्ण	रजत	कांस्य	भागीदारी
1	2	3	4	5	6	7	8
Category-I (Pay Matrix Level-9)	a. Olympic Games (Summer & Winter), Paralympic (Summer & Winter) तथा 2 वर्षो या इससे अधिक के अन्तराल पर आयोजित विश्व चैम्पियनशीप में पदक विजेता।	Olympics	IOC	100	90	82	-
		Paralympics	IPC	100	90	82	-
		World Championship (2 Years & Above)	International Federation of comcerned game recognized by IOC/IPC	95	87	80	-

	b. Grand Slams (Tennis)/BWF World Tour Finals (Badminton), Grand Prix/Grand Swiss (Chess) में पदक विजेता।	Grand Slams (Tennis)/BWF World Tour Finals (Badminton), Grand Prix/Grand Swiss (Chess)	ITF/ATP/WTA / BWF/FIDE	100	90	82	-
	c. एशियन खेल तथा एशियन पैरा खेल में स्वर्ण पदक विजेता	Asian Games	OCA	82	-	-	-
		Asian Para Games	APC				
Category-II (Pay Matrix Level-7 to Pay Matrix Level-8)	a. एशियन खेल तथा एशियन पैरा खेल में रजत या कांस्य पदक विजेता	Asian Games	OCA	-	70	60	-
		Para Asian Games	APC				
	b. Commonwealth खेल एवं Commonwealth Para Games में पदक विजेता।	Commonwealth Games/ Commonwealth Para Games	CGF	78	70	60	-
	c. 02 वर्ष से कम के अंतराल पर परन्तु 01 वर्ष या उससे अधिक के अंतराल पर आयोजित विश्व चैम्पियनशीप में पदक विजेता	World Championship (Annual)	International Federation of comcerned game recognized by IOC/IPC	78	70	60	-
	d. ATP/WTA Finals, ATP/WTA Masters 1000, Davis Cup (Tennis), World Tour Final Super 1000, Super 750, Thomas Cup, Uber Cup, Sudirman Cup में पदक विजेता।	ATP/WTA Finals, ATP/WTA Masters 1000, Davis Cup(Tennis), World Tour Final Super 1000, Super 750, Thomas	ATP/WTA	78	70	60	-

		Cup, Uber Cup, Sudirman Cup					
	e. IBSA World चैम्पियनशीप तथा डीफ ओलम्पिक (Deaflympics) में पदक विजेता	IBSA World Games	IBSA	78	70	60	-
		Deaflympics	ICSD				
पदों का वर्गीकरण	**उपलब्धि की कोटि**	**प्रतियोगिता का नाम**	**आयोजनकर्त्ता**	**मार्किंग पद्धति**			
				स्वर्ण	**रजत**	**कांस्य**	**भागीदारी**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**
Category-III (Pay Matrix Level-6)	a. 04 वर्ष के अंतराल पर आयोजित एशियन चैम्पियनशीप में पदक विजेता।	Asian Championship (Once in 4 Years)	Asian Federation of comcerned game affiliated to OCA / CGF OR International Federation recognize by IOC/IPC	70	60	50	-
	b. Hopman Cup ATP/WTA 500, ATP/WTA 250 (Tennis) Super 500 (Badminton)/ Chess Olympiad में पदक विजेता	Hopman Cup ATP/WTA 500, ATP/WTA 250 (Tennis) Super 500 (Badminton)/ Chess Olympiad	ITF/ATP/WTA / BWF/FIDE	70	60	50	-
	c. World University Games में पदक विजेता	World University Games	IUSF	70	60	50	-

	d. Commonwealth चैम्पियनशीप में पदक विजेता।	Commonwealth Championship	Asian Federation of comcerned game affiliated to OCA / CGF OR International Federation recognize by IOC/IPC	68	58	50	-
	e. 02 वर्ष के अंतराल पर आयोजित एशियन चैम्पियनशीप में स्वर्ण पदक विजेता	Asian Championship (Once in 2 Years)	Asian Federation of comcerned game affiliated to OCA	60	-	-	-
	01 वर्ष के अंतराल पर आयोजित एशियन चैम्पियनशीप में स्वर्ण पदक विजेता	Asian Championship (Annual)	Asian Federation of comcerned game affiliated to OCA	58	-	-	-

पदों का वर्गीकरण	**उपलब्धि की कोटि**	**प्रतियोगिता का नाम**	**आयोजनकर्त्ता**	**मार्किंग पद्धति**			**भागीदारी**
				स्वर्ण	**रजत**	**कांस्य**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Category-IV (Pay Matrix Level-5)	a. ओलम्पिक/पैराल म्पिक/02 वर्षो या इससे अधिक के अंतराल पर आयोजित विश्व चैम्पियनशीप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी	-	IOC/IPC/ International Federation of comcerned game recognized by IOC or IPC	-	-	-	50
	b. Grand Slams (Tennis)/BWF World Tour Finals (Badminton), Grand Prix/Grand	-	ITF/WTA/FIDE	-	-	-	50

	Swiss (Chess) में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी						
	c. सैफ खेल में स्वर्ण पदक विजेता।	SAF Games	SAOC	50	-	-	-
	d. 02 वर्ष के अंतराल पर आयोजित एशियन चैम्पियनशीप में रजत/कांस्य पदक विजेता।	Asian Championship (Once in 2 Years)	Asian Federation of comcerned game affiliated to OCA	-	50	40	-
	e. 01 वर्ष के अंतराल पर आयोजित एशियन चैम्पियनशीप में रजत/कांस्य पदक विजेता।	Asian Championship (Annual)	Asian Federation of comcerned game affiliated to OCA	-	48	38	-
	f. राष्ट्रीय खेल/राष्ट्रीय चैम्पियनशीप में स्वर्ण/रजत पदक विजेता।	National Games	IOA / National Federation affiliated by IOA	45	38	-	-
	g. Special Olympics (Summer/Winter) में स्वर्ण पदक विजेता। h.	Special Olympics (Summer/ Winter)	Special Olympics Organization	45	-	-	-
पदों का वर्गीकरण	**उपलब्धि की कोटि**	**प्रतियोगिता का नाम**	**आयोजनकर्त्ता**	**मार्किंग पद्धति**			
				स्वर्ण	**रजत**	**कांस्य**	**भागीदारी**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**1**	**2**	**3**
Category-V (Pay Matrix Level-4 to Pay Matrix Level-2)	a. Commonwealth खेल या एशियन खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी।	Commonwealth Games / Asian Games	CGF / OCA	-	-	-	40
	b. 02 वर्ष से कम परन्तु 01 वर्ष या उससे अधिक के	World Championship	International Federation of comcerned game	-	-	-	40

	अंतराल पर आयोजित विश्व चैम्पियनशीप /IBSA World चैम्पियनशीप/डीफ ओलम्पिक (Paralympics) में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी		recognize by IOC/IPC				
		IBSA World Championship	IBSA				
		Deaflympics	ICSD				
	c. सैफ खेल में रजत/कांस्य पदक विजेता।	SAF Games	SAOC	-	40	30	-
	d. राष्ट्रीय खेल/राष्ट्रीय चैम्पियनशीप मे रजत/कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी	National Games	IOA	-	35	25	-
			National Federation affiliated by IOA				
	e. Special Olympics (Summer/Winter) मे रजत/कांस्य पदक विजेता	Special Olympics (Summer/ Winter)	Special Olympics Organization	-	35	25	-

नोटः- वे उत्कृष्ट खिलाड़ी जो खेल उपलब्धि के अनुसार किसी Particular Category के पद हेतु योग्य (Eligible) है को वह उस खेल Category के नीचे वाले Category के पद हेतु भी योग्य (Eligible) माना जायेगा।

(ii) तकनीकी/विशिष्ट योग्यता की प्रकृति वाले पदों से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में खेल कोटा के अन्तर्गत 2% क्षैतिज आरक्षण दिये जाने हेतु वांछित खेल अर्हत्ता, शैक्षणिक योग्यता एवं उम्र सीमा निम्नवत् होगी:-

पदों का वर्गीकरण	खेल प्रतियोगिता का विवरण	उपलब्धि	शैक्षणिक योग्यता	उम्र सीमा
Category-I (Pay Matrix Level-8 to Pay Matrix Level-9)	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (IOC)/ अन्तर्राष्ट्रीय पैरालम्पिक समिति (IPC) अथवा इनके द्वारा मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता।	पदक अथवा भागीदारी	संबंधित विभागों द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता	संबंधित विभागों द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा
Category-II (Pay Matrix Level-6 to Pay Matrix Level-7)	भारतीय ओलम्पिक संघ (IOA)/ भारतीय पैरालम्पिक समिति (IPC) अथवा इनके द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता।	पदक अथवा भागीदारी		
Category-III (Pay Matrix Level-4 to Pay Matrix Level-2)	झारखण्ड ओलम्पिक संघ (JOA)/ झारखण्ड राज्य की मान्यता प्राप्त पैरालम्पिक समिति अथवा इनके द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघों द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता	पदक		

Note:

IOC . International Olympic Committee

IPC . International Paralympic Committee

OCA . Olympic Council of Asia

APC . Asian Paralympic Committee

CGF . Commonwealth Games Federation

IBSA . International Blind Sports Association

SAOC. South Asia Olympic Council

IOA . Indian Olympic Association

ICSD . International Committee of Sports for the Deaf

IUSF . International University Sports Federation.

ITF . International Tennis Federation

ATP . Association of Tennis Professionals

WTA . Women's Tennis Association

BWF . Badminton World Federation

FIDE- Federation Internationale des Eches

(World Chess Federation)

8. सीधी नियुक्ति के लिए प्रक्रिया:-

(i) पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा सभी विभाग से प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी की स्थिति के आधार पर खेल कोटा अन्तर्गत 2% आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले रिक्तियों (तकनीकी एवं विशिष्ट योग्यता वाले पदों को छोड़कर) की संख्या का निर्धारण कर निर्धारित रिक्तियों की सूचना प्राप्त किया जाएगा। प्राप्त रिक्तियों के आधार पर क्रीड़ा निदेशालय, झारखण्ड, राँची खिलाड़ियों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित करेगा।

(ii) पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल उपलब्धि, जन्मतिथि, पात्रता इत्यादि के साक्ष्य के साथ व्यक्तिगत स्पर्धा के लिए प्रारूप-I (परिशिष्ट - I) में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(iii) टीम स्पर्धा के मामलों में पात्र उत्कृष्ट खिलाड़ी खेल उपलब्धि, जन्मतिथि, पात्रता इत्यादि के साक्ष्य के साथ प्रारूप-II (परिशिष्ट - II) में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(iv) आवेदन के समय ही खिलाड़ियों से विभागों के संबंध में उनकी प्राथमिकता (Priorities/Preference) ले ली जाएगी, ताकि आवेदक खिलाड़ी की शैक्षणिक योग्यता एवं रूझान आदि के आधार पर उनके लिए सबसे उपयुक्त पद पर चयन का अवसर प्राप्त हो सके।

(v) खिलाड़ियों से प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी आवेदन प्राप्ति के 30 (तीस) दिन के भीतर खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय स्तर पर गठित एक स्क्रीनिंग समिति द्वारा की जायेगी, जो निम्नवत् होगीः-

(क)	निदेशक, क्रीड़ा निदेशालय, झारखण्ड, राँची।	-	अध्यक्ष
(ख)	उप सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।	-	सदस्य
(ग)	उप निदेशक, झारखण्ड खेल प्राधिकरण, राँची।	-	सदस्य सचिव
(घ)	एक जिला खेल पदाधिकारी। (निदेशक, क्रीड़ा निदेशालय द्वारा नामित)	-	सदस्य
(ङ)	भारतीय खेल प्राधिकरण के एक प्रतिनिधि। (सहायक निदेशक से अन्यून स्तर के पदाधिकारी)	-	सदस्य

(vi) उपर्युक्त स्क्रीनिंग समिति योग्य आवेदकों को आमंत्रित कर उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगी। तदोपरांत तैयार की गई सूची एवं प्राप्त आवेदनों को विभाग के माध्यम से अनुशंसा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अपने मंतव्य सहित अग्रसारित करेगी।

(vii) सीधी नियुक्ति हेतु उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुशंसा समिति निम्नवत् गठित की जाती है:-

(क)	मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची।	-	अध्यक्ष
(ख)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची	-	सदस्य
(ग)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची	-	सदस्य
(घ)	संबंधित विभाग/विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (जहाँ नियुक्ति की जानी है)	-	सदस्य
(ङ)	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राज भाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि।	-	सदस्य
(च)	मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी) के प्रतिनिधि	-	सदस्य
(छ)	निदेशक, क्रीड़ा निदेशालय, झारखण्ड, राँची	-	सदस्य सचिव

(viii) अनुशंसा हेतु उपरोक्त कंडिका - 7(i) में निर्धारित मार्किंग पद्धति के अनुरूप आवेदक द्वारा प्राप्त अंक के अनुसार चयन हेतु वरीयता तय की जायेगी।

(ix) अनुशंसा समिति चयनित अभ्यर्थियों की सूची पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करायेगी।

(x) अनुशंसा समिति के द्वारा उपलब्ध करायी गयी अनुशंसित पदों हेतु चयनित खिलाड़ियों की सूची पर समेकित रूप से पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

(xi) माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार की स्वीकृति के उपरान्त पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समिति की अनुशंसा को संबंधित विभाग को प्रेषित किया जायेगा। संबंधित विभाग चयनित खिलाड़ियों को 01 (एक) माह के अंदर उपलब्ध पद पर नियुक्ति पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करेगी।

(xii) यदि इन नियमों के अधीन नियुक्त व्यक्ति उसके नियुक्ति के पश्चात् किसी समय पर खेल से संबंधित किसी कदाचार (डोपिंग, लैंगिक उत्पीड़न, प्रतिस्पर्धा हेर-फेर जैसे की खेल की शर्त लगाना, आन्तरिक जानकारी, मैच फिक्सिंग, खेल की अखंडता तथा सार को खतरा पैदा करने वाली धमकी देने आदि) का दोषी पाया जाता है, तो उसकी सेवाएँ तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी। (नियम- 4;पद्ध के आलोक में)

(xiii) यदि इन नियमों के तहत किसी उत्कृष्ट खिलाड़ी की नियुक्ति के बाद किसी भी समय, उस विशेष खेल उपलब्धि जिसके लिए खिलाड़ी को नियुक्ति मिली है, को सक्षम राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ द्वारा क्वचम ज्मेज में विफल रहने वाले खिलाड़ी के लिए परीक्षण या किसी अन्य कारण से, अंतिम रूप से अवैध या अमान्य घोषित कर दिया जाता है, तो खिलाड़ी की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

9. अनुशंसा समिति द्वारा मेधा सूची बनाने हेतु मापदण्ड:-

(i) खिलाड़ी द्वारा अर्जित सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के आधार पर नियम - 7(i) में वर्णित Marking Scheme के आधार पर अंक दिए जाऐंगे, जिसके आधार पर नियुक्ति हेतु पद निर्धारित किये जायेगें।

(ii) परन्तु अगर एक से अधिक खिलाड़ी द्वारा उपनियम - 9 (i) के आधार पर समान अंक प्राप्त किया जाता है, तो वरीयता सूची में उनकी श्रेष्ठता उनके द्वितीय सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(iii) अगर उपनियम- 9 (ii) के आधार पर एक से अधिक खिलाड़ी द्वारा समान अंक प्राप्त किया जाता है, तो वरीयता सूची में उनकी श्रेष्ठता उनके तृतीय सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के आधार पर निर्धारित की जायेगी। परन्तुक, यह कि नियुक्ति हेतु पद का निर्धारण उपनियम- 9 (ii) के अनुसार यथावत् रहेगा।

(iv) अगर उपनियम- 9 (iii) के आधार पर भी एक से अधिक खिलाड़ी Rank में समान हो तो जिस खिलाड़ी की जन्मतिथि पूर्व की होगी अर्थात जो उम्र में बड़ा हो, उन्हें वरीयता दी जाएगी।

वरीयता क्रम में जो खिलाड़ी वरीय होंगे उन्हें नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सूचित रिक्तियों में अधिक वेतनमान या पे-मैट्रिक्स लेवल वाले पद आवंटित किए जायेंगे।

10. Pay Matrix Level-2 से Level-9 तक की गई प्रारम्भिक सीधी नियुक्तियों वाले पदों में पदनाम के साथ "खेल" शब्द कोष्ठक में लिखकर अंकित की जाएगी, जो नियुक्त करने वाले विभाग द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण एवं तत्संबंधी सेवा/संवर्ग हेतु अपेक्षित विहित योग्यता प्राप्त करने पर ही समाप्त की जाएगी।

11. पूर्व से झारखण्ड सरकार अन्तर्गत विभिन्न पदों पर कार्यरत खिलाड़ी अथवा जिन खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति इस नियमावली के तहत् हुई हो, वे यदि पुनः इस नियमावली की नियम - 7(i) में उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी कर पूर्व से उच्च स्तर का पदक प्राप्त करते है, तो उन्हें पुनः इस नियमावली के तहत उच्च वेतनमान/पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे कर्मी को चयनित होने पर नये पद पर नियुक्ति के पूर्व अपने पूर्व धारित पद से त्याग-पत्र देना अनिवार्य होगा। यदि उक्त कर्मी ने विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सक्षम प्राधिकार

के अनुमोदनोपरान्त आवेदन समर्पित किया है तो वैसे कर्मी के चयनित होने पर उन्हें नये नियुक्त पद पर पूर्व धारित पद का Pay Protection दी जाएगी एवं पेंशनादि हेतु पूर्व धारित पद की सेवा अवधि की भी गणना की जाएगी।

12. जब तक नियम-10 के उपबंधों के अनुसार नियुक्ति पत्र में अंकित "खेल" शब्द को विहित प्रक्रिया के अनुसार समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक सभी पदस्थापन नियुक्ति देने वाले विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ऐसे व्यावसायिक प्रगति वाले अलग क्रीड़ा सवंर्ग में खेलों को प्रोन्नत करने हेतु की जाएगी, नियुक्त खिलाड़ियों की पदस्थापन नियुक्त पद हेतु विहित कर्त्तव्यों के संचालन हेतु नहीं की जायेगी।

13. सीधी नियुक्ति प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नियुक्त पद पर कम से कम 10 (दस) वर्षों तक सेवा देने संबंधी एकरारनामा पर विभागीय शर्तों के अधीन हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें निर्देशानुसार खेलना, उसके बाद प्रशिक्षण देना व खेल विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाना जैसे कर्तव्यों का उनके द्वारा निर्वहन करना अनिवार्य होगा। (अपवाद - यदि इस नियमावली की नियम-11 के तहत् संबंधित खिलाड़ी उच्चतर पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य पाया जाता है, तो उसे कम से कम 10 (दस) वर्षों तक पुनः सेवा देने संबंधी बंधेज शर्त से छूट प्राप्त होगी।)

14. इस नियमावली के तहत या झारखंड राज्य के अन्य प्रासंगिक नियमों के तहत नियुक्त एक खिलाड़ी को एक सक्रिय खिलाड़ी माना जाएगा यदि वह किसी भी राष्ट्रीय चौंपियनशिप या प्रतियोगिता के लिए राज्य टीम में जगह पाता है, जिसे संबंधित राज्य स्तरीय खेल संघ द्वारा विधिवत चयनित किया गया हो। यदि ऐसे खिलाड़ी को लगातार दो वर्षों तक राज्य/राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिलती है, तो उसे सक्रिय खिलाड़ी नहीं माना जाएगा। सक्रिय खिलाड़ी को इस नियमावली के तहत् निम्न सुविधा प्राप्त होगीः-

(i) उसे दिन-प्रतिदिन के आधार पर खेल-संबंधी प्रशिक्षण की अवधि के दौरान पद पर सौंपी गई सामान्य ड्यूटी करने से छूट दी जाएगी। नियुक्ति प्राधिकारी अथवा नियंत्री पदाधिकारी द्वारा खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने अथवा खेल को बढ़ावा देने हेतु संबंधित सक्रिय खिलाड़ी को समुचित प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही नियुक्ति प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि खिलाड़ी अपने खेल-संबंधी प्रशिक्षण में नियमित रूप से और गंभीरता से भाग ले रहे हैं।

(ii) जब ऐसे सक्रिय खिलाड़ी को संबंधित मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघों और/या राष्ट्रीय खेल महासंघ के तत्वावधान में राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर या राष्ट्रीय खेल आयोजनों या अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए अपने मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता होती है, तो ऐसी यात्रा को कर्तव्य के रूप में माना जाएगा और वह पद पर लागू टी.ए. और डी.ए. के आहरण के लिए पात्र होगा। खेल प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने वाले सक्रिय खिलाड़ी को झारखण्ड खेल नीति 2022 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुरूप

लागू टी.ए. और डी.ए. का भुगतान पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा किया जायेगा।

(iii) जब कोई खिलाड़ी भारत के अंदर या बाहर किसी कोचिंग या प्रशिक्षण शिविर और खेल आयोजन में भाग लेने के लिए अपना मुख्यालय छोड़ना चाहता है, जो संबंधित राज्य और/या राष्ट्रीय खेल संघ या महासंघ के तत्वावधान में आयोजित नहीं किया जाता है, तो वह उसमें भाग लेने के लिए अवकाश नियमों के तहत उसे देय छुट्टी की अनुमति दी जाएगी; लेकिन इसे ड्यूटी वेतन, टी.ए. और डी०ए० के आहरण के प्रयोजन के लिए ड्यूटी के रूप में नहीं माना जाएगा।

(iv) उच्च खेल उपलब्धि वाला खिलाड़ी निम्न खेल उपलब्धि वाले पद का चयन कर सकता है।

15. पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग खेलों को प्रोन्नत करने के लिए इस नियमावली के तहत् नियुक्त कार्मिक की सेवाओं का उपयोग किसी भी समय पर कर सकता है। संबंधित विभाग के द्वारा ऐसे अधियाचित कार्मिक की सेवा पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराना बाध्यकारी होगा।

16. निरसन और व्यावृत्ति - विभागीय संकल्प संख्या-1709, दिनांक-12.09.2007, अधिसूचना संख्या-56, दिनांक - 11.07.2014 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड खिलाड़ी (सीधी नियुक्ति) नियमावली 2014 तथा अधिसूचना सं.-178, दिनांक-18.06.2015 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड खिलाड़ी (सीधी नियुक्ति) संशोधन नियमावली 2015 इस नियमावली के लागू होने की तिथि से निरसित की जाती है।

उपर्युक्त नियमावली/संशोधन नियमावली के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

17. शंकाओं का निराकरण - यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई शंका उत्पन्न हो तो इस मामले को सरकार के पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को भेजा जाएगा, जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड से विधिवत् तरीके से परामर्श/मंतव्य प्राप्त कर निर्णय लेगा एवं उसका विनिश्चय/निर्णय अंतिम होगा।

18. नियमावली के प्रावधानों का शिथिलीकरण एवं संशोधन- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची आवश्यकतानुसार इस नियमावली के किसी उपबंध अथवा उपबंधों को शिथिल अथवा संशोधित कर सकेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के सचिव ।

प्रारूप-I

एकल इवेन्ट

स्वःअभिप्रमाणित फोटो

1. नामः .....
2. जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं का प्रमाण-पत्र संलग्न करें):-

   .....
3. ई-मेल पताः .....
4. आधार नं..... मोबाईल फोन नं. .....
5. क्या आप झारखण्ड के अधिवासी/निवासी हैं ? हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)
6. क्या आप अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर भारत/झारखण्ड राज्य के लिए खेले हैं ? हाँ / नहीं
7. यदि हाँ तो किस खेल प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया है

.....

8. शैक्षणिक योग्यताएं (प्रमाण पत्र संलग्न करें)ः

.....

..

9. क्या आप निःशक्त हैं ? हॉ/नहीं
10. यदि हॉ तो निःशक्तता की किस्म तथा प्रतिशत (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए प्रमाण पत्र संलग्न करें)ः

.....

..

11. खेल विधा का नामः .....

12. सर्वोतम खेल उपलब्धि (प्रमाण पत्र संलग्न करें)ः

.....

(i) खेल-प्रतियोगिता का नामः

.....

(ii) आयोजित करने वाला प्राधिकरण/संघ/फेडरेशन आदि का नामः

.....

(iii) मास तथा वर्षः .....

(iv) खेल प्रतियोगिता का स्थानः.....

(v) खेल प्रतियोगिता का स्तरः.....

(vi) जीता गया पदक (यदि कोई हो)ः.....

13. नियुक्ति हेतु विभागों/पदों की प्राथमिकताः-

<u>खिलाड़ी द्वारा घोषणा</u>

1. मैने झारखण्ड उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी नियुक्ति (भर्ती एवं सेवाशर्ते) नियमावली, 2026 पढ़ लिया है तथा घोषणा करता हूँ कि मैं इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के विचारण के लिए पात्र हूँ।

2. मैंने मेरे आवेदन के समर्थन में सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न की है।

3. मैंने राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य राज्य/संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं किया है।

4. मैं कदाचार जैसे कि डोपिंग, लैंगिक उत्पीड़न तथा अपशब्द प्रतिस्पर्धा हेर-फेर जैसे की खेल की शर्त लगाना, आंतरिक जानकारी, मैच फिक्सिंग, खेल की अखण्डता तथा सार को खतरा पैदा करने वाली धमकी देने जैसे कदाचारों का दोषी नहीं हूँ।

5. यदि नियुक्ति दी जाती है तो मैं वचन देता हूँ कि सेवा ग्रहण करने से पूर्व, मै किसी भी संस्था से धन संबंधी लाभ जैसे कि वाणिज्यिक समर्थन या व्यवसायिक खेल संबंधी अस्तित्वयुक्त संविदा नहीं करूगां।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा ऊपर दिए गए सभी ब्यौरा सत्य तथा सही है। मेरे द्वारा किसी प्रकार का भी तथ्य नहीं छिपाया गया है। मेरे द्वारा दी गई गलत सूचना या तथ्य छिपाने की दशा में मेरी सेवा बगैर सूचना के समाप्त कर दी जाएगी।

दिनांक: ..... **(खिलाड़ी के हस्ताक्षर)**

प्रारूप-II

टीम इवेन्ट

स्वःअभिप्रमाणित फोटो

1. **नामः .....**
2. **जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र या दसवीं का प्रमाण-पत्र संलग्न करें) :.....**
3. **ई-मेल पताः .....**
4. **आधार नं..... मोबाईल फोन नं. .....**
5. **क्या आप झारखण्ड के अधिवासी/निवासी हैं ? हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)**
6. **क्या आप अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर भारत/झारखण्ड राज्य के लिए खेले हैं ? हाँ / नहीं**
7. **यदि हाँ तो किस खेल प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया है ?.....**
8. **शैक्षणिक योग्यताएं (प्रमाण पत्र संलग्न करें)ः.....**
9. **क्या आप निःशक्त हैं ? हॉ/नहीं**
10. **यदि हॉ तो निःश्क्तता की किस्म तथा प्रतिशत (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए प्रमाण पत्र संलग्न करें)ः .....**
11. **खेल विधा का नामः .....**
12. **सर्वोतम खेल उपलब्धि (प्रमाण पत्र संलग्न करें)ः.....**
    - (i) **खेल-प्रतियोगिता का नामः .....**
    - (ii) **आयोजित करने वाला प्राधिकरण/संघ/फेडरेशन आदि का नामः ....**
    - (iii) **मास तथा वर्षः .....**

(iv) खेल प्रतियोगिता का स्थान:.....

(v) खेल प्रतियोगिता का स्तरः.....

(vi) जीता गया पदक (यदि कोई हो)- .....

(vii) खेल प्रतियोगिता में टीम द्वारा खेलें गए खेलों की कुल संख्याः.....

(viii) खेल प्रतियोगिता में मेरे द्वारा खेलें गए खेलों की कुल संख्याः.....

(ix) उक्त संबंधित खेल प्रतियोगिता में शामिल कुल टीमों की संख्या .....

<u>खिलाड़ी द्वारा घोषणा</u>

1. मैंने झारखण्ड उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधी नियुक्ति (भर्ती एवं सेवाशर्ते) नियमावली, 2026 पढ़ लिया है तथा घोषणा करता हूँ कि मैं इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के विचारण के लिए पात्र हूँ।

2. मैंने मेरे आवेदन के समर्थन में सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न की है।

3. मैंने राष्ट्रीय स्तर पर किसी अन्य राज्य/संघ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं किया है।

4. मैंने उपरोक्त क्रम संख्या 12 पर वर्णित खेल प्रतियोगिता में टीम द्वारा खेले गए खेलों में से पचास प्रतिशत या अधिक प्रतियोगिताओं में खेला हूँ।

दिनांकः ..... **(खिलाड़ी के हस्ताक्षर)**

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 94 - 50